उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission

पत्रांक सं० 1948/2018 दिनांक / Date 11/12/2018

।। कार्यालय ज्ञाप ।।

विषय :– आयोग की चयन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए परीक्षा का परिणाम जारी करने के उपरांत लिखित परीक्षा का परिणाम(न्यूनतम अर्हकारी अंक) सभी अभ्यर्थियों के अंक तथा उनका प्राप्तांक क्रम (रैंक) आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किये जाने के संबंध में :–

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अनवरत रूप से राज्य की सार्वजनिक सेवा के लिए अपनाई जाने वाली चयन प्रक्रिया को स्वच्छ व पारदर्शी किये जाने का कार्य किया जा रहा है। ओ0एम0आर0 शीट तीन प्रतियों में देना तथा उनमें से एक प्रति परीक्षा की तिथि से चयन संस्तुति भेजे जाने तक राज्य के कोषागार में रखा जाना, परीक्षा की तिथि को ही उत्तर कुंजी का प्रकाशन तथा परीक्षा परिणाम जारी होंने के उपरांत प्रत्येक अभ्यर्थी का उसकी मूल ओ0एम0आर0 शीट जिससे परिणाम निकाला गया है, की ईमेज तथा प्राप्तांक उन्हें ऑनलाइन देखने की सुविधा देना आदि प्रमुख कदम है जो आयोग द्वारा अत्यंत कम समय में निर्णय लेकर कार्यान्वित किये गये है।

चयन में सुचिता व पारदर्शिता को और बढ़ाये जाने की दृष्टि से आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी जो आयोग की लिखित परीक्षाओं में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हकारी(कुल 100 अंकों में से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 35 अंक तथा सामान्य व ओ0बी0सी0 श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 45 अंक) अंक प्राप्त करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी का अनुक्रमांक तथा उसके प्राप्तांक आयोग वेबसाइट पर इस प्रकार प्रकाशित किये जायेंगे कि उनके अवरोही क्रम से संबंधित श्रेणी/वर्ग तथा उपवर्ग की सूची में अभ्यर्थी की रैंक भी स्पष्ट हो जाये।

आयोग द्वारा उपरोक्तानुसार प्रत्येक परीक्षा के लिए एक सूची तैयार की जायेगी जिसमें प्राप्तांको के अवरोही क्रम में क्रम संख्या, अभ्यर्थी का अनुक्रमांक तथा उसके द्वारा प्राप्त अंक तीन विवरण दिये जायेंगे। अवरोही क्रम में होने के कारण अभ्यर्थियों के प्राप्तांक भी अवरोही क्रम में उपलब्ध होंगे।

इस व्यवस्था से लिखित परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत अभ्यर्थी यह जान सकेगें कि उनका क्रम जारी परिणाम में अंतिम कट–ऑफ के कितने अभ्यर्थियों के बाद है तथा इससे उन्हें यह भी स्पष्ट होगा कि चयन की प्रक्रिया में यदि कतिपय चयनित अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होते है या किसी कारण चयन के योग्य नहीं पाये जाते हैं तो उन्हें चयन का अवसर प्राप्त हो सकता है या नहीं। इस व्यवस्था से वे अपने प्राप्तांको के संबंध में स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर लेंगे।

क्रमशः–––(02)

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–1961(एस/एस)/2018 श्री अमित कंडवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य मामले में दिनांक 4 जुलाई, 2018 को दिये गये निर्देशों के अनुपालन में यह व्यवस्था सहायक अध्यापक (एल0टी0) (पद कोड–87, 107, व 108) से प्रारंभ की जायेगी उसके उपरांत निकाले गये सभी लिखित परिणामों पर यह लागू होगी।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
सचिव।

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
3. परीक्षा नियंत्रक, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग।
4. वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु/गार्ड फाइल।

(संतोष बडोनी)
सचिव।